

21-02-18

अपीलार्थीगण द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता उपस्थित।  
प्रत्यर्थी अनिर्वाहित।

अपीलार्थीगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री शिवनाथ शर्मा ने इस अपील पर स्वेच्छापूर्वक बल नहीं देना व्यक्त करते हुये उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया एवं तद्विषयक टीप हांसिये पर अंकित की गई।

अतः बाद विचार अपीलार्थी पक्ष के स्वेच्छिक निवेदन पर यह अपील निरस्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण दाखिल अभिलेखागार हो।

(एस0के0गुप्ता)

प्रथम अपर जिला न्यायाधीश  
मोहद, जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी  
(शासकीय / विधिवत)